न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 05/2022 रसद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उचित मूल्य दुकानदार श्री मनोज कुमार मीना, ग्राम पंचायत पीलोडी तहसील सिकराय जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय अभियोजन संख्या 2016/2253 दिनांक 18.7.2016

उपस्थित–1. श्री डी0पी0सैनी, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 29.07.2022

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 18.07.2016 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत पीलोडी तहसील सिकराय जिला दौसा का अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 76/2006 है, एवं अपीलांट बिना किसी शिकायत के इमानदारी से ग्राम पंचायत पीलोडी तहसील सिकराय के उपभोक्ताओं को निष्ठापूर्वक रसद सामग्री का वितरण करता आ रहा है। अपीलांट के विरूद्ध आरोप लगाया गया है कि दिनांक 5.7.2016 को जांच की जाकर प्रार्थी को एक प्रेस नोट जारी कर कहा गया कि यदि आप कार्य कर रहे हो या कार्य करने के इच्छुक हो तो 07 दिवस में जवाब प्रस्तुत करें। इस नोटिस को आधार मानकर दिनांक 18.7.2016 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 की शर्त संख्या 11 का दोषी मानते हुए जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। अपीलांट से बिना नोटिस जवाब प्राप्त किये ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध दिनांक 18.7.2016 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा का निर्णय आधार विधि विरूद्ध है। अपीलांट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता को कोई शिकायत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से आज दिनांक तक नहीं है। अपीलांट इमानदारी से उपभोक्ताओं को वस्तुओं का वितरण करता रहा है एवं सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...2 पर

उपभोक्ता संतुष्ट है। अपीलांट वर्ष 2016 में अस्थमा अटैक से पीडित होने के कारण वितरण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने का प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट को दिया था उसकी आड में अपीलांट के खिलाफ असत्य, बनावटी आधारों पर कार्यवाही करके प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलांट को जिला रसद अधिकारी दौसा ने कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है ना ही अपीलांट को जिला रसद अधिकारी दौसा से कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। अपीलांट के खिलाफ छोटे मोट तकनीकी आधार–आक्षेप बनाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड रही है तथा अपीलांट को वितरण से वंचित रख कर परेशान किया जा रहा है। खाध एवं नागरिक आपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 25.3.1994 को परिपत्र जारी किया गया है जिसमें राजस्थान के समस्त जिला रसद अधिकारियो को निर्देशित किया गया है कि छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलरों को तंग व परेशान नहीं किया जावे। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा बिना किसी उचित आधार के अपीलांट के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है। अपीलांट का एकमात्र रोजगार उचित मूल्य की दुकान है जिस पर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व अपीलांट पर है। अपीलांट के उपर कोई गंभीर आरोप नहीं है ना ही अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की उचित मूल्य सामग्री की कालाबाजारी की गई है, इसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित आधार के निरस्त कर दिया। अपीलांट के विरूद्ध बिंना जवाब दिये व बिना सुनवाई किये एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश प्रदान करावे। अपीलांट द्वारा बहस के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट के सन 2016 में बीमार हो जाने के कारण रसद सामग्री के वितरण का कार्य करने में असमर्थ था। अब अपीलांट पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं रसद सामग्री का वितरण करने में सक्षम है। अतः पुनः ग्राम पंचायत पीलोडी का डीलर नियुक्त किया जावे।

विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय ने जिला रसद कार्यालय दौसा में दिनांक 5.7.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट के प्राधिकार पत्र के निलंबन को 03 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है। इस अवधि में उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा काई पत्राचार/उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा एक प्रेस नोट दिनांक 5.7.2016 को जारी किया गया, जिसमें अंकित किया गया कि वे कार्य करने के इच्छुक हो तो 07 दिवस में कार्यालय में अपना जवाब प्रस्तुत करे अन्यथा उनका प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। उक्त प्रेस नोट दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया। समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने के उपरांत भी अपीलांट जिला रसद कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ जिस पर जिला रसद कार्यालय दौसा ने दिनांक 18.7.2016 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार करते हुए [illegible] का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। साथ ही विभागीय पैरोकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि रसद कार्यालय द्वारा अपीलांट के स्थान पर किसी भी डीलर की नियुक्ति आज दिनांक तक नहीं की गई है। जिला रसद कार्यालय दौसा द्वारा उचित मूल्य दुकान [illegible] गत 3 वर्ष से रसद सामग्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...3 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के वितरण कार्य संपादित नहीं करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.7.2016 को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा उचित मूल्य सामग्री का उठाव व वितरण नहीं करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट मनोज कुमार मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत पीलोडी तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा रसद सामग्री वितरण का कार्य नहीं करने पर दिनांक 18.7.2016 को प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी दौसा की मूल पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता है कि अपीलांट का प्राधिकार पत्र कब एवं किन कारणों से निलंबित किया गया है । ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से पूर्व कोई नोटिस भी व्यक्गित रूप से जारी किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। मात्र समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया गया है। समाचार पत्र में प्रकाशन के उपरांत अपीलांट द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के फलस्वरूप जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 18.7.2016 को प्राधिकार पत्र की जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र पेश कर अवगत कराया है कि अपीलांट अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं उचित मूल्य की दुकान का संचालन करने में पूर्णतया समर्थ है। पत्रावली में अपीलांट के विरूद्ध राशन सामग्री की कालाबाजारी एवं गबन किये जाने की भी कोई शिकायत नहीं है। अपीलांट द्वारा बीमार हो जाने के कारण राशन सामग्री का उठाव व वितरण नहीं कर सका था। अब अपीलांट ने स्वस्थ्य होने व उचित मूल्य दुकान संचालन में सक्षम होने बाबत शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2016 में से प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने का आदेश यथावत रखा जाकर शेष आदेश निरस्त किया जाता है। अपीलांट को प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि रू0 1000/– पुनः जमा कराने की शर्त पर व राशन सामग्री के समय पर उठाव व वितरण सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:40 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 जुलाई, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official